झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 25 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री महेश्वर उराँव एवं अन्य
ग्राम- लंका, पंचायत - शंकीकला,
प्रखण्ड- मनिका, जिला - लातेहार

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लातेहार ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.04.2023	**वाद सं0–25/2023** परिवादी श्री महेश्वर उरांव एवं अन्य, ग्राम–लंका, पंचायत–रॉंकीकला, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार का परिवाद पत्र आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 पर हुआ। परिवदियों द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदार के विरूद्ध माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 का राशन नहीं दिये जाने का आरोप लगाया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि डीलर से पूछने पर, बताया जाता है कि राशन नहीं आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–17.05.2023 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–17.05.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश...docx106	